केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/40
CICOM/A/P/20/00018
CICOM/R/2019/00802

अपीलकर्ता का नाम: श्री राजकुमार शर्मा
सुपुत्र – स्व0 श्री बोध राज शर्मा
डब्ल्यू–13ए, रामगढ़ कॉलोनी,
नजदीक–बसई दारा पुर, दिल्ली – 110 015

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	01.11.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	04.12.2019
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री आर0 पी0 ग्रोवर, डी0ओ0, आई.सी.–वाई.एस.
3.	प्रथम अपील की तिथि	अंकित नहीं
5.	निर्णय की तिथि	30.01.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन में निम्नलिखित सूचना की मांग की है:–

अ. आपने द्वितीय अपील संख्या CIC/SDMCW/A/2017/171317 दिनांक 11.09.2019 में दिशा निर्देश पारित किया था। क्या साउथ दिल्ली पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम के भवन विभाग ने मान्य किया है या नहीं, विस्तार से बताया जाए।

ब. उपरोक्त द्वितीय अपील संख्या न. में आपने दिशा निर्देश पारित किया था कि एक महीने के अंदर सरकारी जमीन पर कार्यवाही करके आयोग को सूचित करें, अगर आपके दिशा निर्देश का पालन किया गया है तो उसकी जानकारी जिस पत्र के माध्यम से आयोग की दी गयी है उस पत्र की फोटो प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

स. उपरोक्त द्वितीय अपील संख्या न. पर अगर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी तो आयोग द्वारा साउथ दिल्ली पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम विशाल एन्क्लेव पर दिशा निर्देश का पालन न करने पर क्या कार्यवाही की जाएगी, विस्तार से बताया जाए।

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
30 JAN 2020
D. No........
Initials.... Priyanu........

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में सीपीआईओ श्री आर0 पी0 ग्रोवर, डी0ओ0, आई.सी.–वाई.एस. ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

1. No information has been received from the respondent for compliance of the Commission order No. CIC/SDMCW/A2017/171317 dated 11.09.2019
2. As per Point No. 1.
3. Action if any is pending.

प्रथम अपील का आधार :-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 पी0 ग्रोवर, डी0ओ0, आई.सी.–वाई.एस. के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल की, जिसमें प्रार्थी ने निम्नांकित दलील प्रस्तुत की है कि प्रदान की गयी सूचना से वे संतुष्ट नहीं हैं।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सीपीआईओ के द्वारा दिया गया जवाब तथ्यात्मक है और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से प्रस्तुत मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, प्रार्थी ने अपने आरटीआई आवेदन में वांछित सूचना हिन्दी भाषा में प्रदान करने का आग्रह किया है, जबकि जवाब अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। अतः आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 पी0 ग्रोवर, डी0ओ0, आई.सी.–वाई.एस. को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 14 दिनों के अंदर प्रार्थी को हिन्दी भाषा में सूचना प्रेषित करें।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : जनवरी 30, 2020

(ए. के. गहलोत)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

1. सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री आर० पी० ग्रोवर, डी०ओ०, आई०सी०–वाई०एस०, सीआईसी, नई दिल्ली।